न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 05/2025 कालीदेवी वगैरह बनाम शिवाराम वगैरह अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03-7-2025	प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त सारांश इस प्रकार है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी कब्जासूदा भूमि ग्राम चिंचरली, तहसील झंवर जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 462/3 रकबा 4.7348 हेक्टेयर बारानी तृतीय, आई हुई है। जिसमे प्रार्थीगण का 1/11–1/11 हिस्से पर सयुक्त रूप से काबिज चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के परदादा, दादीससुर व दादा रामा पुत्र धुड़ा के नाम की खातेदारी पुश्तैनी कब्जासुदा भूमि थी, उक्त भूमि का वक्त सेटलमेंट से लेकर आज दिवस तक प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त रहा है, रामा पुत्र धुडा के देहान्त होने के बाद मांगीलाल का कब्जा काश्त रहा तथा मांगीलाल के देहान्त होने के बाद प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि को आगे बेचान करने पर उतारू है, इस संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण को धमकिया दी जा चुकी है। वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बिना बंटवाडा करवाये बेचान कर किसी अन्य को कब्जा करवा दिया जाता है तो प्रार्थीगण को भारी नुकसान होगा। अतः प्रार्थीगण को यह आवश्यक हो गया कि अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जावे कि जब तक वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा नही किया जावे तब तक किसी प्रकार से अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का विशिष्ट भू भाग दर्शाकर निर्माण, बेचान हस्तांतरण ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावें। प्रार्थना पत्र कार्यालय समय में दर्ज रजिस्टर किया गया और प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 29.01.2025 को अन्तरिम स्थगन आदेश दिया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिली हेतु भेजे जाकर तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता प्रेमकुमार देवड़ा ने अपना वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कब्जाकाश्त नहीं है न ही किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा प्रार्थीगण का है। खसरा संख्या 462/3 की कुल रकबा 4.7348 हैक्टेयर कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या एक को आपसी सहमती बंटवाडा में प्राप्त हुई हैं इस कारण से उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या एक की स्वःअर्जित जायदाद है जिसमें प्रार्थीगण एव अप्रार्थी संख्या एक के अलावा अन्य अप्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा कब्जा दखल अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या एक शिवाराम के के नाम से दर्ज कृषि भूमि में	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

शिवाराम के जीवनकाल में उसके किसी भी पुत्र अथवा पुत्री को कोई अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं हो सकते है इस कारण से उक्त खसरा संख्या के किसी भी भाग के संबंध में अप्रार्थी संख्या एक शिवाराम के पुत्र अथवा पुत्रीयों को घोषणात्मक वाद पेश करने हेतु कोई वादकारण ही उत्पन्न नहीं हुआ है। अप्रार्थी सख्या एक को अपनी उक्त स्वःअर्जित कृषि भूमि को पूर्ण रूप से उपयोग–उपभोग करने की कानूनन स्वतन्त्रता हैं एवं अप्रार्थी संख्या एक ही उक्त सम्पूर्ण रकबे पर काबिज काश्त हैं। अप्रार्थी संख्या एक अपने इन्ही अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी उक्त खात्तेदारी की खसरा संख्या 462/3 की कुल रकबा 4.7348 हैक्टेयर में से रकबा 01 बीघा कृषि भूमि को जरिये पंजीबद्ध बेचाननामें के द्वारा श्री नाथु राम चौधरी को दिनांक 13.11.2024 को बेचान की जा चुकी है तथा श्री नाथुराम चौधरी अपनी उक्त खरीदसुदा रकबा 01 बीघा पर बहैसियत खातेदार मौके पर काबिज भी हो चुका है जिसे प्रार्थीगण द्वारा पक्षकार नहीं बनाया है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पत्र खारीज किये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्षों की सुनी गयी बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के संलग्न विवादग्रस्त भूमि की जमाबंदी दिनांक 03.12.2022 से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या एक ही वादग्रस्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार है। अतः अप्रार्थी संख्या एक के जीवनकाल में उसके किसी भी पुत्र अथवा पुत्री को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है बल्कि सिर्फ उक्त भूमि का उपभोग–उपयोग कर सके है। उपरोक्त विवेचन, एव विशलेषण के आधार पर अस्थाई निशेधाज्ञा के आवश्यक बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपुर्णिय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के खारीज योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्र हो।

निर्णय आज दिनांक 09-7-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

पुखराज कासोटिया आर ए एस
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
[redacted]